(वाद सं0–5963/4/6/2021)

20.05.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, राम अयोध्या प्रसाद, सेवा निवृत लिपिक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, भोजपुर, आरा के पुत्र, रोहन कुमार, का उनके चिकित्सा में खर्च किये गये राशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, भोजपुर से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, भोजपुर आरा के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित प्रभारी, सामान्य शाखा, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदनानुसार ‘‘प्रसंगाधीन मामले में परिवादी के पुत्र, रोहन कुमार, के ईलाज में खर्च राशि क्रमशः 3,11,709/–रूपये, 80,994/–रूपये, 47,340/–रूपये के भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है तथा उक्त स्वीकृत्यादेश के अनुपालन में परिवादी के खाता में राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।’’

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित राशि को प्राप्त करने से संबंधित तथ्य को स्वीकार किया गया है तथा उनका कथन है कि वह भुगतान की गई राशि से संतुष्ट है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, भोजपुर, आरा के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक